197

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1995–दो/2005 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 15–09–2005 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 57/2004–05/अपील

....

श्रीमती शीलादेवी विधवा पत्नी स्व0
श्री रामसनेही शुक्ला,
निवासी–बामोर गांव तहसील एवं जिला–मुरैना

..............................आवेदिका

विरूद्ध

श्यामसुन्दर पुत्र सुदर्शन प्रसाद
निवासी–बामोर गांव तहसील एवं जिला–मुरैना

..........................अनावेदक

....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदिका
श्री डी0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

....

आदेश

(आज दिनांक 20.9.2016 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 57/2004–05/अपील में पारित आदेश दिनांक 15–09–2005 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि तहसील मुरैना के ग्राम बामौरकलां में स्थित विवादित भूमि, जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी आवेदिका के पति रामसनेही एवं नारायणलाल थे । नारायणलाल द्वारा विचारण न्यायालय में विवादित भूमि का बटवारा किये जाने हेतु संहिता की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन पत्र पेश किया । विचारण न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 7/87–88/अ–27 पर दर्ज किया गया तथा दिनांक 12.04.88 को बटवारा का आदेश पारित

किया गया । विचारण न्यायालय के द्वारा पारित बटवारा आदेश दिनांक 12.04.88 से परिवेदित होकर आवेदिका द्वारा प्रथम अपील मय अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन–पत्र न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत किया गया । न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना ने अपने प्रकरण क्रमांक 46 / 1996–97 / अपील में पारित आदेश दिनांक 22.10.99 से आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील एवं अवधि विधान की धारा 5 को अस्वीकार किया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 57 / 2004–05 / अपील पर पंजीबद्ध किया गया । अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 15.09.2005 से आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को निरस्त करते हुये, अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा गया है । अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 15.09.2005 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3 / आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के समक्ष तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी होने के दिनांक से समयावधि में अपील प्रस्तुत की गई थी । विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु पर्याप्त कारण अभिकथित करते हुये प्रार्थना की गई थी, जिसे अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना द्वारा अस्वीकार किया गया । आवेदिका के पति स्व0 रामसनेही का अपने चाचा नारायणलाल के साथ संयुक्त कृषि खाता ग्राम बामोरकलां में स्थित इस कृषि खाते में आवेदिका के पति एवे उनके चाचा का समान भाग से हिस्सेदारी थी । सहखातेदार नारायण लाल ने तहसील में संयुक्त खाते के बंटवारे हेतु आवेदन पत्र दिया । उक्त कार्यवाही में आवेदिका के पति को सूचना दिये बिंना ही बंटवारा किया गया, जिसमें आवेदिका के पति के हिस्से में अत्यंत निम्न स्तर की भूमि दी गई। आवेदिका के अभिभाषक द्वारा तर्क में यह भी बताया कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय से अपील का निराकरण होने के दिनांक को आवेदिका के पति की मानसिक स्थिति अस्थिर हो गई थी । वे किसी भी कार्य को करने वस्तुतः असमर्थ हो गये थे । आवेदिका के पति का बाहर जाना भी असंभव हो जाने से उन्हें घर पर ही रखने के लिये परिवार बाध्य हो गया था। इसी परिस्थिति में उनकी मृत्यु भी हुई । आवेदिका के पति यदापि अभिभाषक के रूप में जाने जाते थे, परन्तु वे न्यायालयीन कार्य स्वस्थ अवस्था में कम ही कर पाते थे । इसी कारणवश

उन्हें प्रकरण की कोई जानकारी नहीं हो सकी । आवेदिका को जानकारी भी नहीं थी कि उसकी भूमि का कोई बंटवारा हो गया है तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में लंम्बित है । आवेदिका को अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना द्वारा पारित आदेश की कोई सूचना अथवा जानकारी नहीं थी । आवेदिका अपने व्यक्तिगत कार्य से ग्वालियर आ रही थी तब रास्ते में उसके अभिभाषक द्वारा उक्त आदेश की जानकारी प्राप्त हुई। आदेश की जानकारी के दिनांक को ही आवेदिका द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन–पत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश किया गया। समयावधि के प्रश्न पर उदारतापूर्व दृष्टिकोण अपनाना चाहिये था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के विपरीत आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि उक्त प्रकरण का निराकरण सिविल न्यायालय में हो चुका है । प्रकरण में सिविल न्यायालय के आदेश के प्रमाणित प्रति पेश की गई तथा अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा सिविल न्यायालय के निर्णय के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाकर आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम आवेदिका द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र के संबंध में विचार किया गया । आवेदिका ने अपने अवेदन पत्र जानकारी होने का जो स्त्रोत दर्शाया है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता । आवेदिका ने अपने अवधि विधान की धारा 5 में लिखा है कि वह दिनांक 06.01.2005 को अपने अभिभाषक से बामोर गांव के नजदीक किली ज बवह अपने व्यक्तिगत कार्य से ग्वालियर आ रही थी, तब आवेदिका के अभिभाषक ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील करना चाहिये । आवेदिका ने दूसरा कारण बताया कि उसके पति का देहांत हो गया था, जिसके कारण वह दुखी रही । यह सही है कि आवेदिका के पति की मृत्यु हो जाने के कारण वह दुखी रही, किन्तु यह नहीं माना जा सकता कि अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के द्वारा पारित आदेश की जानकारी उसे तब हुई जब वह अपने

व्यक्तिगत कार्य से ग्वालियर आ रही थी तो उसके अभिभाषक द्वारा उक्त आदेश की जानकारी दी गई । 11 वर्ष तक न तो आवेदिका ने ही कोई रूचि ली और न ही उसके अभिभाषक द्वारा ही प्रकरण में कोई रूचि ली गई। अभिभाषक का यह कर्तव्य भी होता है कि वह अपने पक्षकार को पारित आदेश की जानकारी लिखित में खत के जरिये भेज देते, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया । आवेदिका ने एक व्यवहार वाद संचालित किया था जो दिनांक 19.01.2005 को अदम पैरवी में खारिज किया गया है । व्यवहार न्यायालय में भी आवेदिका एवं उसके अभिभाषक द्वारा प्रचलित प्रकरण में कोई रूचि नहीं ली गई, जिसके कारण व्यवहार न्यायालय ने प्रकरण को अनुपस्थिति में खारिज कर दिया । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पातिर आदेश, जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के न्यायलय में 9 वर्ष बाद की गई थी तथा इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के आदेश दिनांक 22.10.99 के विरूद्ध अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में 6 वर्ष बाद चुनौती दी गई । आवेदिका ने ऐसा कोई ठोस प्रमाण एवं लेखा दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किये है जिसके आधार पर उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विश्वास किया जा सके। मेरे विचार से अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना द्वारा आवेदिका के पति के द्वारा प्रस्तुत अपील को अवधिबाह्य मानकर निरस्त करने में कोई भूल नहीं की है। इसी आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा जो आदेश पारित किया है वह भी गलत नहीं है । मैं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश से सहमत हूँ ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष में पहूँचा हूँ कि न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.09.2005 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । फलतः आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर